प्रश्न 1: राइट टू रिकॉल क्या है ?

उत्तर- राइट टू रिकाल :- यह स्थानीय निकायों पर लागू होता है जिसके तहत पचायत या नगरपालिका के ***50*** प्रतिशत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के ***2/3*** बहुमत से किसी प्रतिनिधि - पंच, सरपंच, पार्षद आदि को पद से हटाया जा सकता है। यह नियम छत्तीसगढ़ में भी लागू है।

प्रश्न 2: परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टेन्ड रसेल ने त्याग पत्र क्यों दिया ?

उत्तर- जापान की तरह ही इंग्लैण्ड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। परमाणु हथियार विरोधी अभियान ने लगातार यह मांग उठाई कि इंग्लैण्ड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए | अभियान ने यह मांग भी की कि इंग्लैण्ड को हंर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए | इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन से वर्कशायर तक एलडरमास्टन यात्रा निकाली | एलडरमास्टन वर्कशायर में इंग्लैण्ड का परमाणु प्रतिष्ठान था । एलडरमास्टन यात्राएँ ***60***वें दशक के शुरुआती वर्षों में लगातार जारी रहीं ।
इसलिए दार्शनिक बर्टन रसेल ने अपने पद से
इस्तीफा (त्यागपत्र) दे दिया।

प्रश्न 3 सार्वमौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं ? सार्वभमौमिक मताधिकार न हो तब लोकतंत्र में जन-सहमभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी?

उत्तर- 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अधिकतर राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आस-पास केन्द्रित रहे । एक मुख्य माँग थी कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार दिया जाए। यूरोपीय देश जो पहले ही अधिक लोकतांत्रिक हो चुके थे, प्रारम्भ में सभी व्यक्तियों को मताधिकार देना स्वीकार नहीं किया। कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों के पास मताधिकार था जिनके पास संपत्ति थी।

सामान्यतया स्त्रियों को मताधि कार प्राप्त नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में **1965** तक किसी भी अश्वेत व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था। लोकतंत्र के लिए संघर्षरत सभी व्यक्ति इस अधिकार को सभी वयस्क पुरुषों, स्त्रियों, अमीरों, गरीबों, श्वेत, अश्वेत के लिए चाहते थे | इसे "सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार" या "सार्वभौम मताधिकार" कहा गया है।

लोकतंत्र सहभागिता प्रभावित- भारत में पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु **21** वर्ष या उसके ऊपर थी, वह अपने क्षेत्र में होने वाले किसी स्थानीय निकाय, राज्य विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में मत दे सकता था। सन् **1989** में इस आयु को कम करके 8 वर्ष कर दिया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लागू होने के बाद भी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तथा मतदान करने वाले लोगों की संख्या में काफी अंतर होता है | फिर भी पहले की तुलना में आयु के कम होने से देश में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। वर्ष **1952** में वोट डालने वालों की संख्या **10.60** करोड़ थी, जबकि **2004** में यह बढ़कर **38.99** करोड़ हो गई । इसका कारण यह था कि धीरे धीरे लोगों को लोकतंत्र से सम्बन्धित अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान होता गया।

प्रश्न 4: सूचना के अधिकार का सर्वाधिक पांच लाभ लिखिए ?

उत्तर- आर टी आई (राइट टु इन्फॉर्मेशन) यानी सूचना का अधिकार ने आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है | जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह कानून देश के सभी हिस्सों में लागू है। इस कानून का लाभ सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और परदर्शिता लाना है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। यह अधिकार व्यक्ति को ताकतवर बनाता है। इसके लिए सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचनां आयोग का गठन भी किया है। सूचना के अधिकार के सर्वाधिक व प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं-

(1) 'सूचना का अधिकार अधिनियम **2005**' के अनुसार, ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर आपके आस-पास की सड़कें खराब हालत में हों, अफसर काम के नाम पर रिश्वत लेते हों, या फिर राशन की दुकान पर राशन न मिले तो हम सूचना के अधिकार (आर ठी आई) के तहत ऐसी सूचनाएं पा सकते हैं।

(2) सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का लाभ ले सकते हैं। इसमें निगम, यूनियन, कम्पनी आदि को सूचना देने का प्रावधान नहीं है क्योंकि ये नागरिकों की परिभाषा में नहीं आते हैं। अगर किसी निगम, यूनियन, कम्पनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आर ठी आई दाखिल करता है तो उसे यूचना दी जाएगी। बशर्ते उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, निगम या यूनियन के नाम पर नहीं।

ऑफिसर **(पीआईओ)** के रूप में नियुक्त करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है।

(4) नागरिकों को डिस्क, टेप, वीडियो कैसेट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट आउट के रूप में सूचना मांगने का हक है, बशर्ते मांगी गई सूचना उस रूप में पहले से मौजूद हो |

(5) रिटेंशन पीरियड अर्थात् जितने समय तक रिकॉर्ड सरकारी विभागों में रखने का प्रावधान हो, उतने वक्त तक सूचनाएं मांगी जा सकती हैं।

प्रश्न 5: राजनैतिक दल व दबाब समूह की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर- राजनैतिक दल की संरचना में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो इसे अन्य समूह से अलग करती हैं--

(1) राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है। इसमें दल का नेता संगठित अल्पतंत्र (कार्यकारिणी) द्वारा शक्ति हथियाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है।

(2) सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उप-संरचनाएँ एवं समितियाँ होती हैं, जो भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती हैं | दल में कई परस्पर विरोधी समूह किसी उद्देश्य तथा राजनीतिक विचार६ ग़रा को लेकर साथ जुड़े रहते हैं।

(3) हर राजनीतिक दल में अल्पतंत्र होता है। प्रथम अवस्था में शक्ति का केन्द्रीकरण कुछ अनुभवी नेताओं के हाथ में होता है, जो प्रमुख पदाधिकारी होता है, जबकि दूसरी अवस्था में दल का संगठन एक विशेष स्तरीकरण व्यवस्था में विभाजित होता है और हर स्तर पर कुछ स्वायत्तता पाई जाती है।

(4) दल में सदस्यता निरंतर बनी रहती है। एक

सदस्य दूसरे सदस्य को दल की गतिविधियों की जानकारी देते रहते हैं। कुछ लोग दल के सदस्य इसलिए होते हैं कि उन्हें समाज में उसके कारण एक विशेष स्थान मिल जाता है।

दबाव समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

(1) दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं।

(2) दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान - पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु एकजुट हो जाते हैं।

(3) दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। .

(4) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार-प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आँकड़े प्रकाशित करना, लाबीइंग आदि कराते हैं।